संख्या-102/2020/1766/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाजकल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त 2020

विषय:- **रिट याचिका संख्या-सी 29602/2018 आशुतोष कुमार मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री आशुतोष कुमार मिश्रा की वर्ष 2027-18 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-837/स.क./शिक्षा-अ/02/151/2020-21, दिनाक-14.07.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-210/2018/3170/26-3-2018, दिनांक-11.10.2018 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के आदेश का अनुपालन न हो पाने के कारण याची श्री आशुतोष कुमार मिश्रा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल छात्र की वर्ष 2017-18 की सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल **रूपये-30,760/-(रूपये तीस हजार सात सौ साठ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-80 के लेखा शीर्षक-2235-02-200-07-आरक्षित वर्गों के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशामोत्तर छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तियां एवं छात्रवेतन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 50000.00 लाख में से श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-102/2020/1766(1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. वित्त नियंत्रक निदेशालय समाज कल्याण।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।